न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2021-142(GCMS2021-398)

नगर पालिका फलोदी
जरिये अधिशाषी अधिकारी

--- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. *नैनीदेवी पत्नी मूला उर्फ मूलचन्द*
2. *धनराज पुत्र मूला उर्फ मूलचन्द*
   जाति सुनार, निवासी फलोदी
3. *राजस्थान सरकार*
   जरिये तहसीलदार फलोदी

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 07 जुलाई 2021 राजस्व वाद संख्या 47/2017 नैनीदेवी बनाम राजस्थान सरकार

—— 0 ——

उपस्थित -
श्री अनीस अहमद, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री के.के.भाटी, अधिक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2017 नैनीदेवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 223 के तहत दिनांक 15 नवम्बर 2021 को पेश की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलाण्ट की ओर से अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15, 88 व 188 के तहत एक दावा आराजी खसरा संख्यचा 681 रकबा 30 बीघा वाके फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 जुलाई 2021 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ड्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में साक्ष्य वादी हेतु पेशी दिनांक 05 जुलाई 2021 मुकर्रर थी, उस रोज अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष मामले में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसका विधिवत निस्तारण किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा वादी-पक्ष की मात्र एक ही साक्ष्य विचारण न्यायालय में ली गयी है, जो अन्य सम्पार्शिविक साक्ष्य के अभाव में महत्व नहीं रखती है। रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अपठनीय एवं सदिग्ध होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत दावा गलत पेश किया गया है क्योंकि उक्त धारा के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश करने की समय सीमा सालों पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प8(ग)()नियम/डीएलबी/18/13457-13580 दिनांक 26 दिसम्बर 2016 व राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक प6(9)रेवेन्यु-6/39 दिनांक 08 दिसम्बर 2010 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांक राजस्व/2017/1027-30 दिनांक 10 फरवरी 2017 की पालना में म्युटेशन संख्या 2772 फलोदी के जरिये दिनांक 27 फरवरी 2017 को अपीलाण्ट नगर पालिका फलोदी के नाम दर्ज की जाकर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि आवासीय भूमि होने से राजस्व वाद की कार्यवाही गलत चलायी गयी है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 681/671 व 641/742 कुल रकबा 4.8076 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के अलावा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है जिन्हें मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। मियाद के संबंध में विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट को सूचित नहीं किया गया, जिससे समुचित समय में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के खिलाफ प्रस्तुत अन्य अपील में अदालत हाजा द्वारा जारी किये गये नोटिस प्राप्त होने पर अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत जानकारी हुई, तो विभागीय अनुमति ली जाकर आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जावे और आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि फलोदी के खसरा संख्या 681 रकबा 30 बीघा पर वादीगण-रेस्पो. बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है, मौके पर उनकी ढाणी एवं पानी का टांके आदि बने हुए है, वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पूर्वज रामप्रताप पुत्र बागजी सुनार के नाम से आराजी खसरा संख्या 681/741 रकबा 15 बीघा आवण्टित होकर जरिये आदेश संख्या 1229 दिनांक 28 जुलाई 1962 राजस्व रिकार्ड में उनकी गैरखातेदारी में दर्ज की गयी। इसी प्रकार कालान्तर में आराजी खसरा संख्या 681/742 रकबा 15 बीघा मूल पुत्र रामप्रताप के पक्ष में आवण्टित होकर जरिये आदेश संख्या 1232 दिनांक 28 जुलाई 1962 राजस्व रिकार्ड में उनकी गैरखातेदारी में दर्ज की गयी। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो को विरासतन खातेदारी अधिकार अर्जित हुए। विचारण न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से समुचित साक्ष्य के आधार पर अपने वाद को साबित किया गया है। प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार एवं नगरपालिका फलोदी की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा एवं लिखित बहस में भी वादग्रस्त आराजियात वादीगण-रेस्पो. एक व दो के पूर्वज रामप्रकाश पुत्र बागजी सुनार एवं मूला पुत्र रामप्रताप के पक्ष में आवण्टित होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। अन्य किसी के पक्ष में उक्त भूमि का आवण्टन नियमन नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड संवत 2020-2023 में आवण्टियों का नाम वादग्रस्त आराजियात बाबत बतौर गैरखातेदार दर्ज है। अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने 2013 डी.एन.जे. 513 उद्धरित करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट विचारण न्यायालय में अपने लिखित अभिकथन से आबद्ध है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की ओर से अधिवक्ता-उपस्थित हुए है, जिनकी उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। अतः अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी कानूनन मानी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस का समर्थन किया और अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, न्यायहित में मामले का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किये जाने की दृष्टि से विलम्ब के संबंध में नरम रूख अख्त्यार करते हुए आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अपने वाद की ताईद में वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रदर्श एक तहसीलदार फलोदी के आदेश संख्या 1229 दिनांक 28 जुलाई 1962 के जरिये आराजी खसरा संख्या 681/741 रकबा 15 बीघा रामप्रताप पुत्र बागजी सुनार के पक्ष में बतौर गैरखातेदारी एलोट किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार प्रदर्श 2 तहसीलदार फलोदी के आदेश संख्या 1232 दिनांक 28 जुलाई 1962 के जरिये आराजी खसरा संख्या 681/742 रकबा 15 बीघा मूला पुत्र रामप्रताप सुनार के पक्ष में बतौर गैरखातेदारी एलोट किया जाना प्रकट होता है। वाद की ताईद में मौखिक साक्ष्य में वादी-रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वयं द्वारा अपने बयान लिपिबद्ध कराये गये। जिससे प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कोई जिरह नहीं की गयी है। अतः उक्त अखण्डित साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाने का कोई कारण एवं आधार नजर नहीं आता है। इसके अलावा कार्यालय तहसीलदार फलोदी द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित पत्र कमांक राजस्व/2021/627 दिनांक 09 मार्च 2021 (विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 80-81) में तहसीलदार फलोदी के आदेश संख्या 1229 दिनांक 28 जुलाई 1962 के जरिये 15 बीघा भूमि रामप्रताप पुत्र बागजी सुनार के पक्ष में तथा आदेश संख्या 1232 दिनांक 28 जुलाई 1962 के जरिये 15 बीघा मूला पुत्र रामप्रताप सुनार के पक्ष में आवण्टित होना एवं वर्तमान में उनके वंशज वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो मौके पर काबिज होना वर्णित किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में (पेज 82-83) उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 22 फरवरी 2021 में भी इन तथ्यों का वर्णन है। कार्यालय नगरपालिका फलोदी (जोधपुर) राज. की ओर से उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित पत्र कमांक नपाफ/2021-22/1472 दिनांक 26 जून 2021 (विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 84) में भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आलौच्य मामले में वादी-रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर उनके वाद की पुष्टि होने के साथ ही साथ प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब/पत्रादि के आधार पर वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 व 2 के वाद की ताईद होती है। ऐसी स्थिति में मामले में कायम तनकी संख्या एक का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पक्ष में करते हुए तनकी संख्या दो दादरसी के तहत वाद में वांछित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुतोष प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता किया जाना नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पो.
नगरपालिका फलोदी जरिये अधिशाषी अधिकारी	**ब ना म**	1. नैनीदेवी पत्नी मूला उर्फ मूलचन्द 2. धनराज पुत्र मूला उर्फ मूलचन्द जाति सुनार, निवासी फलोदी 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 07 जुलाई 2021 राजस्व वाद संख्या 47/2017 नैनीदेवी बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 23 दिसम्बर 2024 बहाजरी श्री अनीस अहमद मिनजानिब अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता श्री के.के.भाटी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 जुलाई 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 23 दिसम्बर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर